



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28072021-228528
CG-DL-E-28072021-228528

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2774]
No. 2774]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 28, 2021/श्रावण 6, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 28, 2021/SHRAVANA 6, 1943

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2021

का.आ. 2985(अ).—जबकि संख्या का.आ. 2167 (ई) दिनांक 7 जून, 2021 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड -3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा केंद्रीय सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम के परामर्श से कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) के उपबंधों को उस अधिसूचना की तारीख से एक महीने के बाद उक्त अधिसूचना की अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्थापनों की कतिपय श्रेणियों पर विस्तारित करने के आशय की सूचना दी थी;

और जबकि, उक्त राजपत्र की प्रतियां तारीख 07 जून, 2021 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और जबकि, उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से केंद्रीय सरकार द्वारा विचार करने के लिए उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई सुझाव और आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतः अब, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा निगम से परामर्श करने के पश्चात्, इस अधिनियम के उपबंधों को 1 अगस्त 2021 से इसके साथ अनुबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों तथा स्तंभ (1) में स्थित स्थापनों की श्रेणियों पर विस्तारित करती है, अर्थात्:-

अनुसूची

स्थापनों का विवरण	क्षेत्र जिनमें स्थापन स्थित हैं	कर्मचारियों की श्रेणी जिन पर यह अधिनियम लागू होता है
(1)	(2)	(3)
निम्नलिखित वे स्थापन जिनमें 10 या अधिक व्यक्ति नियोजित हैं अथवा पूर्ववर्ती 12 माह में किसी दिन नियोजित थे, अर्थात् - केन्द्रीय/ राज्य विधान के अंतर्गत स्थापित नगर निगम/परिषद।	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सभी क्षेत्र जहां कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा-1 की उप-धारा (3) पहले से ही लागू किया जा चुका है।	सभी नैमित्तिक एवं संविदा कर्मचारी।

[फा. सं. एस-38025/03/2017-एसएस-1]

विभा भल्ला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 2021

S.O. 2985(E).—Whereas, by a notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(ii), *vide* number S.O. 2167(E) dated the 7th June, 2021, the Central Government, in consultation with the Employees' State Insurance Corporation, gave notice of its intention to extend the provisions of the Employees' State Insurance Act, 1948(34 of 1948) to certain classes of establishments specified in the Schedule to the said notification after one month from the date of that notification;

And whereas, the copies of the said notification were made available to the public on the 7th June, 2021:

And whereas, no objections and suggestions have been received within the said period of one month in respect of the said notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of Section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948(34 of 1948), the Central Government, in consultation with the Employees' State Insurance Corporation, hereby extends with effect from the 1st day of August, 2021, the provisions of the said Act to the classes of establishments specified in column (1) and situated within the areas specified in column (2) of the Schedule hereto, namely; —

SCHEDULE

Description of establishments	Areas in which the establishments are situated	Category of employees to whom the Act applies
(1)	(2)	(3)
The following establishments wherein ten or more persons are employed or were employed on any day of the preceding twelve months, namely :- Municipal Corporations/ Council, established under Central/ State legislation.	All the areas in the National Capital Territory of Delhi where Employees' State Insurance Act, 1948 has already been brought into force under Sub-Section (3) of Section 1 of the Act.	All casual and contractual employees.

[F. No. S-38025/03/2017-SS-I]

VIBHA BHALLA, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07062021-227400
CG-DL-E-07062021-227400

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2010]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 7, 2021/ज्येष्ठ 17, 1943

No. 2010]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 7, 2021/JYAISHTHA 17, 1943

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 2021

का.आ. 2167(अ.)—श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के साथ परामर्श करके कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 1 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से अथवा एक माह पश्चात इस अधिनियम के उपबंधों का इसके साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रतिष्ठानों की श्रेणियों तक विस्तारित करने का एतद्वारा नोटिस देता है।

- उक्त अधिसूचना के संबंध में ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि में किसी व्यक्ति से प्राप्त किसी आपत्ति अथवा सुझाव पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।
- आपत्तियां एवं सुझाव, यदि कोई हो, तो श्री मदन चौरसिया, अवर सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली -110001 (madan.c@nic.in) को भेजे जा सकते हैं।

अनुसूची

प्रतिष्ठानों का विवरण	क्षेत्र जिनमें प्रतिष्ठान स्थित हैं	कर्मचारियों की श्रेणी जिन पर यह अधिनियम लागू होता है
(1)	(2)	(3)
वे प्रतिष्ठान जिनमें 10 अथवा अधिक व्यक्ति नियोजित हैं अथवा पूर्ववर्ती 12 माह में किसी	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सभी क्षेत्र जहां कर्मचारी राज्य बीमा	सभी नैमित्तिक एवं संविदा कर्मचारी।

दिन नियोजित थे, नामतः - केन्द्रीय/ राज्य विधान के अंतर्गत स्थापित नगर निगम/परिषद ।	अधिनियम, 1948 इस अधिनियम की धारा-1 की उप-धारा (3) के अंतर्गत पहले से ही लागू किया जा चुका है।	
--	--	--

[सं. एस-38025/03/2017-एसएस-1]

विभा भल्ला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th June, 2021

S.O. 2167 (E)—In exercise of the powers conferred by Sub-section (5) of Section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948, the Government of India, Ministry of Labour and Employment in consultation with the Employees' State Insurance Corporation hereby gives notice of its intention to extend the provisions of the Act to the classes of establishments specified in the schedule annexed thereto, on or after one month from the date of publication in the official gazette.

1. Any objection or suggestion, which may be received from any person in respect of the said notification within the period specified above, will be considered by the Central Government.
2. The objections and suggestions, if any, may be addressed to Shri Madan Chaurasia, Under Secretary, Ministry of Labour and Employment, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi 110001 (madan.c@nic.in).

SCHEDULE

Description of establishments	Areas in which the establishments are situated	Category of employees to whom the Act applies
(1)	(2)	(3)
The establishments whereon ten or more persons are employed or were employed on any day of the preceding twelve months, namely :- Municipal Corporations/ Council, established under Central/ State legislation.	All the areas in the National Capital Territory of Delhi where Employees' State Insurance Act, 1948 has already been brought into force under Sub-Section (3) of Section 1 of the Act.	All casual & contractual employees.

[F.No. S-38025/03/2017-SS-I]

VIBHA BHALLA, Jt. Secy.